

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नावां

Email-cbeonawa@gmail.com Ph. – 01586 -262100

क्रमांक:—सीबीओ / नावां / सामान्य / वि.संशोधन / 2622-23/490 दिनांक :—09.11.2022

समस्त पीईईओ / यूसीईईओ
ब्लॉक—नावां (नागौर)

विषय:—छात्र के नाम / माता पिता का नाम एवं जन्मतिथि संशोधन के संबंध में।

प्रसंग:—श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य / मा—स / 22411(9) / जन्मतिथि / 2016 / 139 दिनांक 22.11.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के प्रासंगिक आदेश के अनुसार विद्यार्थियों की टी.सी. प्रति हस्ताक्षर, नाम, माता / पिता का नाम, जन्मतिथि संशोधन आदि कार्यों के लिये इस कार्यालय को अधिकृत किया गया है। अतः प्रासंगिक आदेशानुसार संशोधन हेतु प्रस्ताव संलग्न सूची अनुसार समस्त दस्तावेज व प्रधानाचार्य / पीईईओ / यूसीईईओ की स्पष्ट अनुशंसा के साथ ही प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

प्रकरण किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी के अभिभावक के साथ नहीं भिजवायें।

संलग्न:—आवश्यक दस्तावेजों की सूची।


09-11-2022
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
नावां (नागौर)

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नावां

Email-cbeonawa@gmail.com Ph. – 01586 -262100

छात्र/छात्रा के नाम/माता पिता का नाम/जन्मतिथि संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज
1- छात्र/छात्रा नाम संशोधन हेतु-

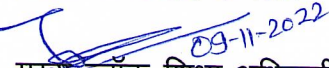
1. नाम में संशोधन चाहने वाले छात्र के पिता/सरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय या नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में नाम संशोधन चाहने के कारणों/परिस्थितियों का तर्कसंगत व सन्तुष्टिपूर्ण विवरण हो।
2. छात्र के गत कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
3. छात्र के परिवार का संतान संबंधी विवरण निम्न प्रारूप में-
क.स. सदस्य का नाम मुखिया से संबंध जन्मतिथि/आयु
4. छात्र के आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
5. परिवार राशन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
6. छात्र/छात्रा के नाम में परिवर्तन करवाने के संबंध में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्र में छाया/प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति।
7. वर्तमान विद्यालय से सम्बन्धित अभिलेख जैसे विद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जैसी भी स्थिति हो मय तत्समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज तथा स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. संबंधित संस्थाप्रधान की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है "विद्यालय अभिलेख व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी"।
9. संबंधित संस्थाप्रधान की छात्र का नाम संशोधन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंसा कि "विद्यालय अभिलेख में छात्र का नाम संशोधन किया जाना उचित है" प्रारूप

अनुशंसा पत्र

यह है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री श्री.....कक्षा..... प्रवेशांक..... के छात्र का नाम संशोधन हेतु अभिभावक श्री.....ने प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक..... को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण की कार्यालय स्तर पर जांच करवाई गई प्रकरण की जांचोपरान्त छात्र का नाम..... के स्थान पर छात्र का नाम.....संशोधित किया जाना उचित है। अतः छात्र का नाम..... संशोधित किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/पीईईओ/युसीईईओ

10. एस.डी.एम. से प्रमाणित शपथ पत्र
11. दो पड़ोसियों के शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित
12. भामाशाह कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
13. रजिस्ट्रार द्वारा जारी छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति
14. अभिभावक से लिखित घोषणा कि छात्र के नाम संशोधन से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
नावां (नागौर)

राजस्थान

सरकार

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नावां

Email-cbeonawa@gmail.com Ph. - 01586 -262100

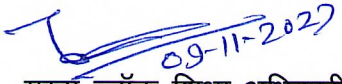
2- छात्र के माता पिता के नाम में संशोधन हेतु-

01. वर्तमान विद्यालय से सम्बन्धित अभिलेख जैसे विद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जैसी भी स्थिति हो मय तत्समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज तथा स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
02. छात्र/छात्रा के माता पिता के नाम में परिवर्तन करवाने के संबंध में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्र में छाया/प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति।
03. आधार कार्ड छात्र/माता/पिता स्व प्रमाणित प्रति
04. भामाशाह कार्ड स्व प्रमाणित प्रति
05. परिवार राशन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
06. रजिस्ट्रार द्वारा जारी छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटोप्रति
07. शपथ पत्र एस.डी.एम. से प्रमाणित
08. दो गवाहों के शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित
09. संबंधित संस्थाप्रधान की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है "विद्यालय अभिलेख व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी"।
10. संबंधित संस्थाप्रधान की छात्र के माता पिता के नाम संशोधन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंसा कि "विद्यालय अभिलेख में छात्र के माता पिता का नाम संशोधन किया जाना उचित है" प्रारूप

अनुशंसा पत्र

यह है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री श्री.....कक्षा..... प्रवेशांक..... के पिता का नाम/माता का नाम संशोधन हेतु अभिभावक श्री.....ने प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक.... को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण की कार्यालय स्तर पर जांच करवाई गई प्रकरण की जांचोपरान्त छात्र के पिता का नाम/माता का नाम..... के स्थान पर छात्र के पिता का नाम/माता का नाम.....संशोधित किया जाना उचित है अतः छात्र के पिता का नाम/माता का नाम..... संशोधित किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/पीईईओ/युसीईईओ


09-11-2022
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
नावां (नागौर)

राजस्थान

सत्यमेव जयते

सरकार

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नावां

Email-cbeonawa@gmail.com Ph. – 01586 -262100

03- जन्मतिथि संशोधन-

बोर्ड परीक्षा हेतु छात्रों के आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व ऐसे प्रकरण जिनमें कोई लिपिकीय त्रुटि न हो तथा जन्मतिथि परिवर्तन की मांग की गई हो उक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे-

01. ज्योतिषी द्वारा तैयार की गई जन्मपत्री।
02. अत्यन्त पुराना व निःसन्देहात्मक ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य जो सिविल वाद की स्थिति में न्यायालय में भी मान्य होता है।
03. वर्तमान विद्यालय से सम्बन्धित अभिलेख जैसे विद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जैसी भी स्थिति हो मय तत्समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज तथा स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
04. जन्मतिथि में परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता/सरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय या नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों/परिस्थितियों का तर्कसंगत व सन्तुष्टिपूर्ण विवरण हो।
05. छात्र की जन्मतिथि में परिवर्तन करवाने के संबंध में समाचार पत्र में छाया/प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति।
06. छात्र के समस्त पूर्व विद्यालय के प्रवेश आवेदन पत्र या टी.सी. की संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी भी स्थिति हो।
07. छात्र के आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
08. रजिस्ट्रार द्वारा जारी छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति
09. परिवार राशन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति
10. संबंधित संस्थाप्रधान की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है "विद्यालय अभिलेख व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी"।
11. संबंधित संस्थाप्रधान की छात्र की जन्मतिथि संशोधन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंसा कि "विद्यालय अभिलेख में छात्र की जन्मतिथि संशोधन किया जाना उचित है"

प्रारूप

अनुशंसा पत्र

यह है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री श्री.....कक्षा..... प्रवेशांक..... के जन्मतिथि संशोधन हेतु अभिभावक श्री.....ने प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक..... को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण की कार्यालय स्तर पर जांच करवाई गई प्रकरण की जांचोपरान्त छात्र की जन्मतिथि के स्थान पर छात्र की जन्मतिथिसंशोधित किया जाना उचित है। अतः छात्र की जन्मतिथि संशोधित किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/पीईईओ/युसीईईओ

12. दो पड़ोसियों के शपथ पत्र

13. छात्र के परिवार का संतान संबंधी विवरण निम्न प्रारूप में-

क.स. सदस्य का नाम मुखिया से संबंध जन्मतिथि/आयु

14. भामाशाह कार्ड प्रति

09-14-2022
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
नावां (नागौर)